

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1080 / 2010 / जयपुर.

मैसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, मुख्यालय कोटा, झालावाड़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/05/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 277 / अपील्स-II / आरएसटी / जयपुर / वि.वृ.राज. / 2007-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.02.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा सम्भाग मुख्यालय झालावाड़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) व 76(12) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 15.12.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया है, जबकि आरोपित कर को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं दिनांक 07.12.2007 को वाहन संख्या एम.पी.09 / के.ए.-9816 को चैक किये जाने पर वाहन में मुम्बई से जयपुर के लिये माल परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक / माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1277144 प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों की जांच पर घोषणा पत्र वैट-47 अपूर्ण पाये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया गया कि उनके द्वारा स्टॉक ट्रांसफर के तहत माल आयात किया गया है, माल के साथ सभी वांछित दस्तोवज संलग्न थे, जिनमें समस्त विगत अंकित थी, अतः कर चोरी की कोई मंशा नहीं है। जवाब के साथ नया घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 2014477 भी भरकर प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब

लगातार.....2

एवं घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 2,05,001/- एवं धारा 76(12) के तहत कर रूपये 85,417/- का आरोपण आदेश दिनांक 15.12.2007 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति की पुष्टि की गयी व कर राशि को अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ माल से सम्बन्धित वांछित सभी दस्तावेज उपलब्ध थे। लिपिकीय भूल से घोषणा प्रपत्र अपूर्ण संलग्न कर दिया गया, जिसमें उसका किसी प्रकार का करापवंचन का मनोभाव नहीं था। स्टॉक ट्रांसफर के तहत माल मंगाया गया था। घोषणा पत्र की संख्या बिल्टी पर लिखी हुई थी। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की शास्ति की सीमा तक पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वक्त चैकिंग अपूर्ण घोषणा प्रपत्र के साथ विवादित माल परिवहनित किया जाना स्पष्टतः वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि वक्त परिवहन घोषणा प्रपत्र अपूर्ण अथवा रिक्त होने पर शास्ति आरोपणीय है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित किये जाने एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में वक्त चैकिंग वाहन में अधिसूचित श्रेणी का माल परिवहनित किया जा रहा था तथा माल के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र वैट-47 अपूर्ण पाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार रिक्त/अपूर्ण घोषणा प्रपत्र के समर्थन से विवादित माल का परिवहन अधिनियम की धारा 78(2)(ए) [वेट अधिनियम की धारा 76(2)] सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है तथा अपीलार्थी के इस कृत्य के लिये उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) [वेट अधिनियम की धारा 76(6)] के तहत शास्ति आरोपित करने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई है।

7. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ नया घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी. पी.मैटल्स में यह स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है कि किन्हीं कारणवश यदि कोई दस्तावेज वक्त जांच प्रस्तुत किये जाने से रह गया हो तो वह दस्तावेज नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, उक्त निर्णय का यह आशय कतई नहीं है कि नोटिस की पालना में नया घोषणा पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा नोटिस के जवाब में नया घोषणा पत्र तैयार कर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार्य है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

8. जहां तक वेट अधिनियम की धारा 76(12) के तहत आरोपित कर को अपास्त किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत व्यवहारी है। प्रेषक-प्रेषिति की समस्त विगत बिल बिल्टी में अंकित है, ऐसी स्थिति में पंजीकृत व्यवहारी पर धारा 76(12) के तहत कर का आरोपण किये जाने में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष